

राजस्थान सरकार  
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक:एफ 5(3)आप्र.एवं सहा./चारा डिपो/2014/12275-83 जयपुर,दिनांक 11.12.14  
जिला कलेक्टर, (सहायता)  
जैसलमेर (राज0)

विषय:- आभव सम्मत 2071 में अभावग्रस्त जिलों के अभावग्रस्त क्षेत्रों में  
अनुदानित दर पर चारा वितरण हेतु चारा डिपो स्वीकृति के  
सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

प्रसंग:- आपके पत्र क्रमांक 12183 दिनांक 24.11.2014 के कम में।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ 1 (1)(4) आ.प्र.सआ/ सामान्य/  
2015/10908-44 दिनांक 19.10.2014 से आपके जिले को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। यह  
अवधि 31.07.2014 तक प्रभावी रहेगी। भारत सरकार के पत्रांक 32-3/2013-NDM-I दिनांक  
28.11.2013 के द्वारा जारी संशोधित SDRF/NDRF मानदण्डों के बिन्दु सं. 6(iii) के अनुसार पशु  
शिविर से बाहर के पशुओं के लिए चारा परिवहन अनुदान अभाव सम्मत 2071 में अभावग्रस्त क्षेत्रों में  
पशु पालकों को अनुदानित दर पर चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आपके जिले से प्राप्त  
प्रस्तावों के आधार पर निम्नानुसार अंकित संख्या तक चारा डिपो जारी दिनांक से अभाव अवधि तक  
खोले जाने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम जिला	चारा डिपो की संख्या
2	जैसलमेर	24 (तह.फतेहगढ़-3 तह.पौकरण-1, तह.जैसलमेर-20)

तह. फतेहगढ़ में 3, तह. पौकरण में 1 एवं तह. जैसलमेर में 20

1. यह परिलाभ पशुपालको को दिया जायेगा।
2. इसमें अनुदान की राशि चारा परिवहन की वास्तविक लागत तक देय होगी।
3. पशुओं की संख्या का आंकलन पशु गणना पर आधारित तथा उससे संगत (Consistent) होने चाहिए।
4. बजट आवंटन की मांग ऑन लाईन इस विभाग को प्रेषित करेंगे। जिसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा उन्हें आवश्यकता अनुसार बजट आवंटन किया जायेगा।  
इसके अतिरिक्त निम्न दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए:-

1. चारा डिपो संचालक संस्थाएँ-

जिला कलेक्टर द्वारा ग्राम पंचायतों, ग्राम सेवा सहकारी समितियों, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को चारा डिपो संचालन हेतु स्वीकृति प्रदान की जाए। यदि उक्त में से कोई

ऐजेन्सी डिपो संचालन हेतु उत्सुक न हो तो जिले में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं को संस्थाओं को यह कार्य दिया जा सकता है।

2. चारे का क्रय—

संस्था द्वारा डिपो पर चारा, राजस्थान के गैर अभावग्रस्त जिलों अथवा पड़ोसी राज्यों से क्रय कर वितरित किया जाए। चारे का वितरण पशु पालक को बिना लाभ-हानि के आधार पर किया जाए।

3. चारा परिवहन अनुदान की दरे—

इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 5(9) आप्र. एवं सहा./चारा/ 2009-10/5926-40 दिनांक 16.03.2010 अथवा परिवहन की वास्तविक लागत तक जो भी कम हो के अनुसार लागू होगी। तदनुसार ही डिपो पर लाये जाने वाले चारे पर परिवहन अनुदान का भुगतान संस्थाओं को किया जाए।

4. चारा विक्रय दर का निर्धारण—

जिला कलेक्टर द्वारा गठित सरपंच, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी की समिति क्रय मूल्य के दस्तावेज देखकर परिवहन अनुदान की राशि घटाकर एवं 10 (दस) रुपये प्रति कि. जोड़कर चारे की दर का निर्धारण करेगी।

5. चारा वितरण में छीजत—

चारा विक्रय मूल्य के अतिरिक्त किसी प्रकार की चारे की छीजत, तुलाई तथा प्रशासनिक व्यय देय नहीं है।

6. ब्याज मुक्त ऋण—

जिला कलेक्टर द्वारा डिपो का संचालन करने वाली संस्था का निरीक्षण तथा पूर्ण सत्यापन व संतुष्टि के पश्चात चारा डिपो स्वीकृति के साथ ही 1,00,000/- रुपये प्रति चारा डिपो के हिसाब से अग्रिम (कार्यशील पूंजी) के रूप में ब्याज मुक्त ऋण संस्था को उपलब्ध करावें व इस हेतु राशि की मांग अविलम्ब विभाग को प्रेषित करावें।

7. चारा डिपो का स्वीकृति/सत्यापन—

(i) चारा वितरण के लिए चारा डिपो की स्वीकृति जिला कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाए, ऐसा अधिकारी अति.कलेक्टर के स्तर से कम नहीं हो।

(ii) चारे के वितरण की तस्दीक पटवारी अथवा सरपंच/उपसरपंच अथवा ग्राम सेवक से कराई जाए।

(iii) क्रय किये गये चारे के सम्बन्ध में धर्मकांटा तोल की रसीदों का प्रमाणिकरण तथा परिवहन के संबंध में कार्य से लिये गये वाहनों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाए तथा तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र संलग्न प्रपत्र में तैयार करवाकर रिकार्ड में रखा जावे।

6. चारा डिपो का निरीक्षण:—

(अ) जिला कलेक्टर यह भी सुनिश्चित करें कि चारा डिपो से विक्रय किये जाने वाले चारे का प्रमाणीकरण समय-समय पर डिपो पर उपलब्ध आवश्यक रिकार्ड से कराते रहे तथा क्षेत्र में चारे की उपलब्धता सुनिश्चित हो।

11/12

(ब) चारा डिपो संचालित किये जाने वाले स्थलों का जिले में पदस्थापित विभिन्न अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाए। प्रतिमाह निरीक्षण के लिए न्यूनतम मापदण्ड निम्न प्रकार से निर्धारित है:-

क्र. स.	नाम अधिकारी	प्रतिमाह निरीक्षण किये जाने वाले चारा डिपो	कार्य क्षेत्र
1.	तहसीलदार/विकास अधिकारी	25%	तहसील/पं.मिति
2.	उपखण्ड अधिकारी	10%	उपखण्ड
3.	अति.जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति:मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सम्मिलित रूप से)	6%	जिला
4.	जिला कलेक्टर	यथासम्भव अधिकाधिक	जिला

उपरोक्त निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जावे।

भवदीय,  
शासन सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री, राज0, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर।
4. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज.0, जयपुर।
6. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
8. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
9. गार्ड फाईल।

10/ प्रोग्रामर, DMLR

11/12